बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (गया) 02–83/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–387, दिनांक–21.01.2025 द्वारा श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, परैया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा के विरूद्ध दाखिल–खारिज, ROR, परिमार्जन का कार्य लंबित रखने एवं इस संदर्भ में स्पष्टीकरण पूछे जाने पर जबाव नहीं दिए जाने, राज्य सूचना आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, लोक शिकायत निवारण के कार्यों में अभिरूचि नहीं लिए जाने, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं अन्य कार्यों से संबंधित जांच प्रतिवेदन लंबित रखने तथा अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–655(15) दिनांक–28.04.2025, पत्रांक–1137(15) दिनांक–04.07.2025 एवं कतिपय विभागीय पत्रांकों द्वारा श्री मिश्रा से लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री मिश्रा द्वारा दिनांक–23.02.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों यथाः– अपने माता–पिता की बीमारी के कारण बिना अभ्यावेदन समर्पित किए एवं वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना अभ्यावेदन समर्पित किए एवं वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के दिनांक–19.04.2023 से 30.10. 2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया है तथापि स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा जाना बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन है क्योंकि किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर प्रस्थान करना होता है। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन करते हुए उक्त चूक की गई है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने माता–पिता की बीमारी एवं ईलाज से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इस बात को बल मिलता है कि उनके द्वारा अपने माता–पिता की बीमारी का बहाना बनाकर अनधिकृत रूप से अवकाश का उपभोग किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मिश्रा के विरूद्ध **"संचयी प्रभाव के बिना एक (01) वेतन वृद्धि का रोक का शास्ति"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, परैया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना एक (01) वेतन वृद्धि का रोक का शास्ति"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक–**15/आरोप (गया) 02–83/2023**–.....521......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/04/2026

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा/समाहर्त्ता, गया को उनके पत्रांक–387, दिनांक–21.01.2025 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, गया एवं छपरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, परैया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।